पत्रांक 728 /एक्स0एल0
XL(वि0)-45-2012

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक,(विधि–व्य0)
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक
सभी पुलिस अधीक्षक(रेल सहित)

पटना, दिनांक– 28/11 2016

विषयः– मूर्ति चोरी/लूट के कांडों पर रोकथाम हेतु इस पर सतत् निगरानी रखने के संबंध में।

महाशय,

निदेषानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि हाल के दिनों में ऐसा पाया गया है कि पुरातत्व एवं पौराणिक महत्व की मूर्तियों की चोरी/ लूट के कई कांड प्रतिवेदित हुए है। इसकी रोक थाम हेतु पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना के पत्रांक–5775/पुरा0 शा0 दिनांक–23.12.2015 के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

अतः इस संबंध में आप सभी को मूर्ति चोरी/लूट के कांड के रोक–थाम एवं इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पुनः निम्नांकित निर्देश दिये जाते है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिशिचित किया जायः–

1– पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिरों की थानावार सूची बनाई जाय, जिसमें मूर्ति के नाम सहित प्रयुक्त धातु उनकी अनुमानित कीमत एवं पुरातात्विक महत्व का उल्लेख हो ।

2– मंदिरों एवं मूर्तियों की संख्या को ध्यान में रख कर उनकी निगरानी हेतु पदाधिकारी/दफादार/चौकीदार चिहिन्त कर दिए जाये। ये अपने रोजमर्रा के कर्त्तव्यों में परिभ्रमण के क्रम में संबंधित मठाधीश/पुजारी से सम्पर्क कर उनकी सुरक्षा के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा किसी प्रकार की संदेहास्पद सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष को सुचित करेगें।

3– अक्सर मूर्ति चोरों का संबंध अंतरजिला/अंतर्राज्यीय/अंतर्देशीय गिरोहों से रहता है। इस तरह के गिरोहों की पहचान कर एक सूची बना ली जाय, जिसमें गिरोह के प्रमुख एवं सदस्यों का नाम पता, उनकी अपराध शैली, कार्य क्षेत्र आदि का उल्लेख हो। अभिलेखों पर आधारित तैयार सूची में प्रविष्ट अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों की अद्यतन जानकारी रखी जाय।

4– मूर्ति चोरी संबंधी कांडों में आरोपपत्रित अपराधियों का स्पीडी ट्रायल कराया जाय।

5– धार्मिक न्यास बोर्ड/संबंधित ट्रस्ट/मठाधीश/पुजारी आदि से सम्पर्क कर सुरक्षा के मद्देनजर सुविधानुसार मंदिरों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रात्रि में समुचित प्रकाश की व्यवस्था कराई जाय तथा अन्य निरोधात्मक कार्रवाई हेतु विचार विनिमय कर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

6– मूर्ति चोरी/लूट के कांडों में आरोपपत्रित फिरार अपराधकर्मियों की गिरप्तारी सुनिश्चित की जाय। इस अपराध शैली के सक्रिय अपराधकर्मियों का फिरारी रौल तथा डोसियर खोला जाय तथा उनकी नियमित जांच की जाय ।

7– बिहार के मठों/मंदिरों पर अपना आधिपत्य जमाने हेतु खून–खराबा संबंधी कई दृष्टान्त सामनें आये है। ऐसे मठों/मंदिरों के विवादित पक्ष भी एक षडयंत्र के तहत मूर्ति चोरी कर सकते है। इस दिशा में भी ध्यान रखा जाय ।

8– मठों/मंदिरों की कीमंती मूर्तियों/अन्य सामान किस पुजारी या व्यक्ति की देख रेख में है, इसकी भी सूची बना ली जाय तथा समय–समय पर इसकी सुरक्षा संबंधी समीक्षा की जाय।

9– भारी मूतियों की चोरी/लूट के मामलों में इस बात की प्रबल संभवना रहती है कि चोरी/लूट के बाद अपराधकर्मी तत्काल उसे स्थानीय स्तर पर ही छिपा दें तथा पुलिस का दबाव कम होने पर उसे अन्यत्र स्थानांतरित करें, जैसा कि जमुई जिला में हाल ही में घटित भगवान महावीर की मूर्ति की चोरी के मामले में ऐसा पाया गया है। इसलिए स्थानीय स्तर पर भी आसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जाना अनिवार्य है।

10– गश्ती के दौरान भी मठों/मंदिरों पर प्रभावकारी एवं सतत् निगरानी रखा जाय। महत्वपूर्ण मंदिरों एवं मूर्ति चोरी होने की संभावित संवेदनशील मंदिरों की सुरक्षा हेतु सतर्कता बरती जाय तथा आवश्यकतानुसार चौकीदार/दफादार की प्रतिनियुक्ति की जाय।

11– इसके अतिरिक्त स्वविवेक से आवश्यकतानुसार अन्य निरोधात्मक कार्रवाईयाँ सुनिश्चित की जाय ताकि ऐसी घटनायें (भविष्य में) कारित नहीं होने पाये एवं उस पर शतप्रतिशत अंकुश लग सकें।

विश्वासभाजन

आ0 [signature] 25/1/16

अपर पुलिस महानिदेशक,(विधि–व्य0)
बिहार, पटना

प्रतिलिपिः–

1–सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

2–सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।